न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 1872 / 2004 / अजमेर

1– रामलाल पुत्र घीसा
2– श्रीमती पानी देवी जोजे रामलाल
3– उगमा (मृतक) पुत्र सेवा जरिये वारिसानः–
3 / 1– मु0 प्रेमी बैवा उगमा
3 / 2– पप्पु
3 / 3– कालु
पुत्रगण उगमा
3 / 4– सुमित्रा पुत्री उगमा पत्नि भंवरलाल जाति जाट निवासी जेठाना अजमेर।
4– सांवरा पुत्र सेवा
5– राजेन्द्र उम्र 15 वर्ष पुत्र श्री प्रभू नाबालिग जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड सांवरा।
6– श्रीमती हगामी बेवा हरकरण
7– अमरचन्द पुत्र हरकरण
8– रामकरण (मृतक) पुत्र मकनाम जरिये वारिसानः–
8 / 1– गीता देवी बैवा रामकरण
8 / 2– जितेन्द्र पुत्र रामकरण
8 / 3– बिल्लू
8 / 4– सन्जु
8 / 5– अन्जु
8 / 6– माया
पुत्रियां रामकरण जाति जाट निवासी देलवाड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
समस्त जाति जाट निवासी देलवाड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

–अपीलांट्स

बनाम

1– मिश्रीलाल (मृतक) पुत्र सूरजमल जरिये वारिसानः–
1 / 1 / 1– मु0 उगमी बैवा रामस्वरूप पुत्र मिश्रीलाल
1 / 1 / 2– भंवरलाल
1 / 1 / 3– भगवानदास
1 / 1 / 4– सुखपाल
पुत्रगण रामस्वरूप पुत्र मिश्रीलाल
1 / 2 / 1– मु0 अलोली बैवा मांगीलाल पुत्र मिश्रीलाल
1 / 2 / 2– अमरचंद
1 / 2 / 3– भागचन्द
1 / 2 / 4– नेमीचंद
1 / 2 / 5– रायचंद
पुत्रगण मांगीलाल पुत्र मिश्रीलाल
1 / 2 / 6– रेखा
1 / 2 / 7– शान्ति
पुत्रियां मांगीलाल पुत्र मिश्रीलाल

1/2/8– लक्ष्मी
1/3– रणजी पुत्र मिश्रीलाल
2– अनिल पुत्र रामलाल
3– भंवरलाल पुत्र रामस्वरूप
4– हरजी (मृतक) पुत्र सुवा जरिये वारिसानः–
4/1/1– कमला बैवा हरजी
4/1/2– सुमित्रा पत्नि महिपाल पुत्र हरजी
4/1/3– रोहित पुत्र महिपाल पुत्र हरजी
4/1/4– खुशी पुत्री महिपाल पुत्र हरजी
4/2– रामरतन पुत्र हरजी
4/3– दीनदयाल पुत्र हरजी
4/4– रामेश्वर पुत्र हरजी
5– रामदेव पुत्र जीवण
6– रणजीत
7– सुखपाल | पुत्रगण शंकर
8– देशराज
9– जुगराज (मृतक) पुत्र शंकर जरिये वारिसानः–
9/1– कंवरा बैवा जुगराज
9/2– शिवानी पुत्री जुगराज
9/3– लोकेश पुत्र जुगराज
10– श्रीमती भंवरी (मृतक) पत्नि शंकर जरिये वारिसानः–
10/1 लाली पुत्री शंकर पत्नि गणपत जाट निवासी बैगलियावास तहसील मसूदा जिला अजमेर
समस्त जाति जाट निवासी देलवाड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर
11– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर।
12– श्रीमती नाथी पत्नि रामकरण जाखड़ निवासी मांगलियावास।
13– श्रीमती सुगनी पत्नि कानाराम जाट निवासी दौराई।
14– लादू (मृतक) पुत्र गोकुल गोदारा जरिये वारिसानः–
14/1– मु0 छगनी पत्नि लादू
14/2– नाथी पुत्री लादू पत्नि रणजीत गोरा समस्त जाति जाट निवासी देलवाड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

–रेस्पोडेंट्स

खण्डपीठ
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

1. श्री हंगामीलाल, अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 6 से 9

निर्णय

दिनांक– 1–7–2025

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत् राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर द्वारा अपील संख्या 121/2003 में पारित निर्णय दिनांक 4–2–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स/वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के धारा 88 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा देलवाड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर में स्थित साबिक खसरा नंबर 788/1 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा किस्म आबी गैर व खसरा नंबर 788/2 रकबा 9 बीघा किस्म आबी गैर स्थित है। उक्त आराजी के श्री लादू पुत्र हंसा वगैरह कुल चार हिस्सों में से 3/2 हिस्से, लादू पुत्र श्री मानाजी जाट निवासी देलवाड़ा वगैरह 1/2 हिस्से, श्री हंसराज वल्द सेवाराम कौम महाजन 2/3 हिस्से, श्री सेवा व चन्द्रा पिसरान श्री काना, ओंकार बालिग व लादू नाबालिग पिता गोकल जाट 1/3 हिस्सा तथा घीसा पुत्र रूघा वगैरह एवं गंभीरा पुत्र दल्ला जाट 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। अपीलांट्स/वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री पारित की जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 906/1851 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 द्वारा उक्त वाद का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें वाद–पत्र में किये गये कथनों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वाद गलत तथ्यों के आधार पर लाये जाने से खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उक्त वाद का जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद–पत्र में उठाये गये कथनानुसार वादी के पक्ष में कोई डिक्री पारित की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, व्यावर द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1– आया वाद–पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 906/1851 के सहखातेदार व सहकाबिज है।

2– आया वादग्रस्त भूमि के विषय में मिश्रीलाल, लादू, रामकरण, जीवण, हरजी, सुगनी, नाथी के नाम खातेदारी के इन्द्राज गलत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

3– आया वादग्रस्त भूमि के वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/9, 1/9 हिस्से के, वादी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक 1/18, 1/18 हिस्से के तथा वादी संख्या 6 व 7 प्रत्येक 13/96 हिस्से के व वादी संख्या 8 13/148 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 2/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक 1/3 हिस्से के व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रत्येक 1/16 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 प्रत्येक 1/45 हिस्से के कुल ढाई हिस्से में हिस्सेदार व खातेदार है और तद्नुसार उनकी खातेदारी राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के अधिकारी है।

4– अनुतोष

दावे, जवाबदावे एवं कायम की गई तनकीयात के आधार पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा अपने आदेश दिनांक 28–2–2001 द्वारा अपीलांट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2001 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 31–10–2001 द्वारा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2001 निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–2001 की पालना में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपने आदेश दिनांक 9–9–2003 द्वारा अपीलांट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–9–2003 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 4–2–2004 द्वारा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–9–2003 यथावत रखा गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–2–2004 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4— अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत हैं। उनका कथन है कि अपीलांट्स ने अपना दावा दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया कि विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 की सहखातेदारी भूमि है और अपने वाद–पत्र में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पृथक–पृथक हिस्से अंकित किये। उक्त तथ्यों के सबूत में चौसाला जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 एवं 2023 से 2026 तक की प्रमाणित प्रतियां पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना विवेचन एवं विश्लेषण नहीं कर निर्णय पारित किया है। अपीलांट्स/वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य विक्रय–पत्र दिनांक 18–8–1993 से रामकरण पुत्र चन्द्रा का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी अनिल पुत्र रामलाल को विक्रय करना एवं लादू पुत्र रूघा द्वारा दिनांक 7–8–1975 को अपना हिस्सा अपीलांट/वादिया पानी देवी के हक में वसीयत तहरीर करना दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 लगायत 7 व 8 लगायत 10 के हाजिर नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही एवं प्रतिवादी 2, 8 व 9 ने जवाबदावे में वाद को स्वीकार किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी विस्तृत विवेचना नहीं देकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 10 विवादित भूमि पर बतौर सहकृषक काबिज है और रेस्पोडेंट्स संख्या 12, 13, 14 का विवादित भूमि पर कोई हक, अधिकार, आधिपत्य नहीं है और भू–प्रबंध विभाग द्वारा वर्किंग जमाबंदी में उनके नाम गलत खातेदारी अंकन किये गये हैं। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–2–2004 एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–9–2003 निरस्त किया जाकर अपीलांट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जावे।

5— रेस्पोडेंट्स के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट/वादी द्वारा वर्तमान जमाबन्दी को आधार बनाकर प्रस्तुत नहीं किया था अपितु दावे का आधार फसली जमाबन्दी संवत 1350 को बनाया गया था । अपीलाण्ट जमाबन्दी संवत 2021 से 2022 तथा 2023 से 2026 के आधार पर डिक्री कराना चाहते हैं । वसीयत के आधार पर सहखातेदारी दिया

जाना संभव नहीं है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित है जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6— हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत प्रस्तुत कर मौजा देलवाडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर में स्थित साबिक खसरा नंबर 788/1 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा किस्म आबी गैर व खसरा नंबर 788/2 रकबा 9 बीघा किस्म आबी गैर हाल खसरा नंबर 906/1851 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार काश्तकार व संयुक्त खातेदार काश्तकार को प्रत्येक का घोषित कर कर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज को खातेदारी कालम निरस्त कर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के नाम उपरोक्त हिस्से दर्शाते दर्ज कर उपरोक्तानुसार दुरूस्ती की जावे । इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा खातेदारी घोषणा के वाद में इन्द्राज दुरूस्ती की अनुशंषा चाही गई है । जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के वाद हेतु निम्न प्रावधान है ।

88. Suits for declaration of right— (1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy. (2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant. (3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant. (4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person .

अपीलाण्ट द्वारा उक्त प्रावधान के विपरीत राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 88 के वाद में इन्द्राज दुरूस्ती चाही गई है । जमाबन्दी संवत 2019—22 व 2023—26 विवादित भूमि साबिक खसरा नंबर 788/1 है । यह लादू वगैरह, सूजा पुत्र देवा व दुर्गाप्रसाद महाजन तथा घीसा पुत्र खूमा के खाते में दर्ज है । जमाबन्दी संवत 1350 में विवादित भूमि खसरा नंबर 906 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा लादू वगैरह दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 788 के रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा के नये नंबर 906 रकबा 9 बीघा व खसरा नंबर 906/1851 रकबा 14 बीघा 16

बिस्वा बने हैं । उक्त सभी तथ्य वादीगण द्वारा वाद विचारण न्यायालय के समक्ष सिद्ध नहीं कर पाए हैं एवं सहखातेदारी सिद्ध नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज किया है । जमाबन्दी में खसरा नंबर 906/1851 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा पर रेस्पोडेण्ट मिश्रीलाल, वल्द सूरजमल, लादू वल्द गोकल, रामकरण वल्द चन्दा, जीवण हरजी पि0 सूजा व सुगनी नाथी विन्तु सुजा खातेदार दर्ज है एवं नामान्तरकरण सख्या 453 के अनुसार बेचान से खसरा नंबर 906/1851 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा आबादी गैर में विक्रेता रामकरण वल्द चन्दा के स्थान पर क्रेता अनिल वल्द रामलाल जाति जाट सा.0 देह इन्द्राज की स्वीकृति हुई । उपखण्ड अधिकारी ने अपीलीय न्यायालय के रिमाण्ड आदेश दिनांक 1–10–2001 की पालना में पुनः परीक्षण कर दिनांक 9–9–2003 से वादी/अपीलाण्ट का वाद खारिज किया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में यही माना है कि बिना किसी आधार के जमाबन्दी में संवत 2019 से 2022 व 2023 से 2026 में दर्ज खसरा नंबर 788/1 घीसा पुत्र रूपा की खातेदारी में दर्ज है । यह लादू वगैरह सूजा पुत्र देवा व दुर्गाप्रसाद महाजन तथा घीसा पुत्र हुकमा की खातेदारी में चली आ रही है। खसरा नंबर 906/1851 पूर्व खाते के अनुसार वर्तमान खातेदारों के नाम सेटलमेंट जमाबंदी में अंकित होने से अपीलाण्ट को विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों ने सहखातेदार नहीं माना। इस कारण बिना किसी आधार के इन नामों को वर्तमान जमाबन्दी से हटाने के कोई समुचित आधार नहीं होने से अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हुए उसे यथावत रखा है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई ओचित्य नहीं है । अतः अपील खारिज योग्य है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित हैं एवं हमारी राय में इन निर्णयों में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है न ही विधि का कोई प्रश्न ही अन्तर्वलित है, जिससे कि द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। **जैसा कि आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 215 उनवानी श्री चारभुजा जी बनाम हीरादास पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि–**

''जब अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, तब द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। जो अभिवाक् प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाया उसे द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता''। आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर

माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –

"Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue."

इस संबंध में AIR 2008 SC 380 Boodireddy Chandraiah and Ors. versus Arigela Laxmi and Ors. के पैरा संख्या 13 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं–

"13, The general rule is that High Court will not interfere with concurrent findings of the Courts below ."

अतः उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

8. उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है। अन्य कोई प्रार्थना–पत्र लम्बित हो तो तद्नुसार निर्णित किए जाते हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य

(आर.डी.मीणा)
सदस्य